न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 126/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. हरदीप सिह पुत्र विक्रम सिह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. हरविन्द्र सिह पुत्र विक्रम सिह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. मेजर सिह पुत्र गुरबचन सिह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
4. सर्दुल सिह पुत्र गुरबचन सिह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. विक्रम सिह उर्फ बिकर सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. गुरबचन सिह पुत्र राजाराम जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. मनजीत कौर पुत्री गुरबचन सिह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
4. हरपाल कौर पुत्री बिकर सिंह जाति तरखान निवासी नगराना तहसील संगरिया।
5. शाखा प्रबंधक पंजाब नैशनल बैक नगराना
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री सुशील कुमार एडवोकेट (वादी)
2. श्री देवेन्द्र सिह एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 4)
3. श्री रविन्द्र कुमार एडवोकेट (प्रति.सं. 5)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

दिनांकः– 5.3.2026

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम से चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 132/122 खाता गुरबचन सिंह, चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 33/23, खाता संख्या 35/28, खाता संख्या 52/33 चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38. खाता संख्या 34/30, खाता संख्या 39/33 चक 13 एसबीएन के खाता सख्या 34/101 चक 3 एनजीआर के खाता संख्या 25/22 में 0156 है. कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 132/122 में 614 हैक्टयर खाता सख्या 33/23 में 379 है0, खाता संख्या 35/28 में 1.328 है०, खाता संख्या 52/33 में 253 है0, चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38 में 1.461 है0, खाता संख्या 34/30 में 253 है० खाता संख्या 39/33 में. 759 है. चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 34/101 में 126 है0 चक 3 एसबीएन के खाता संख्या 25/22 में 078 है० इस प्रकार कुल 5.257 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 132/122 में 614 हैक्टयर खाता सख्या 33/23 में 379 है०, खाता संख्या 35/28 में 1.328 है०, खाता संख्या 52/33 में 253 है०, चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38 में 1.461 है०, खाता संख्या 34/30 में 253 है० खाता संख्या 39/33 में. 759 है० चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 34/101 में 126 है० चक 3 एसबीएन के खाता संख्या 25/22 में 078 है0 इस प्रकार कुल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। 5.257 है0 कृषि भूमिप्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को अपने पिता अर्थात् वादीगण के दादा राजाराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिस कारण उक्त कृषि भूमि पर सिवादीगण का जन्मतः हक व अधिकार बनता है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में इस कृषिभूमि का प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दो भाई होने के कारण घरू बंटवारा का लिया था और मुताबिक घरूबंटवारा – के चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38 में स्थित 2.922 है०, खाता

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संख्या 34/30 में दर्ज 516 है०, तथा खाता संख्या 39/33 में स्थित 1.518 है० तथा चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 35/28 में 600 है० इस प्रकार कुल 5.462 है० कृषि भूमि हक व हिरसा में आयी प्रतिवादी संख्या 02 को चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 132/122 में 1.228 है०, खाता संख्या 33/23 में 759, खाता संख्या 35/28 में 2.150 है०. खाता संख्या 52/33 में 506 है०, चक 13 एसबीन के खाता संख्या 34/101 में 253 है० चक 3 एनजीआर में 156 है० कुल 5.112 है० कृषि भूमि हक व हिस्सा में आयी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि अच्छीमंदी व काश्त की सुविधा के अनुसार इस प्रकार विभाजित कर ली गई इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपनी कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को अपने पिता से प्राप्त हुई है इस कृषि भूमि में बादीगण व प्रतियादीगण का जन्मतः हक व हिस्सा बनता है प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्सा में आयी 5.462 है० कृषि भूमि में वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 04 का बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा बनता है यादी संख्या 01 व 02 इसी अनुरूप खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 02 के हक व हिस्सा में आयी 5.112 है० कृषि भूमि में बादी संख्या 3 व 24 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 03 का हिस्सा जन्मतः बनता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी संख्या 03 व 04 तथा प्रतिवादी राख्या 02 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपने हक व हिस्सा का परित्याग करने के बाद वादी संख्या 03 व 04 व प्रतिवादी संख्या 2 कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा बनता है इसी अनुरूप बादी संख्या 03 व 24 तथा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा आपस में अपनी कृषि भूमि को काश्त व अच्छीमंदी के हिसाब से घरूबंटवारा कर लिया है और मुताबिक घरूबंटवारा के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बाद पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णितानुसार कृषि भूमि बटवारा में आयी प्रतिवादीगण इसी अनुरूप खातेदार काश्तकार घोषित होने के बाद वादीगण बाद पत्र की चरण संख्या 08 09 के अनुरुप खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि चक 5 एनजीआर, चक 6 एनजीआर, चक 13 सिंह एसबीएन में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज है लेकिन कब्जाकारत में प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जा में चक 6 एनजीआर व प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा में चक 5 एनजीआर 13 एसबीएन की होने के कारण वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया गया कि वे चलकर अपने कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा लेवे पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे अंत में ऐसा करने से कतई इंकार कर दिया यही वाद कारण है। वाद बाबत घोषणा का है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण 02/— रूप्ये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवर्णाधिकार का है।

लिहाजा वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं० 10 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब बैक प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 6 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की

कलेक्टर एव
खण्ड अधिकारी
संगरिया

ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वकील वादी/प्रतिवादीगण ने प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत होने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द किये जाने हेतु निवेदन करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-

- चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 39/33 ज.स. 2072–2075
- चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 34/30 ज.स. 2072–2075
- चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 238/38 ज.स. 2072–2075
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 52/33 ज.स. 2072–2075
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 35/28 ज.स. 2072–2075
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 33/23 ज.स. 2072–2075
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 132/122 ज.स. 2072–2075
- चक 3 एन.जी.आर. खाता संख्या 25/22 ज.स. 2071–2074
- चक 13 एसबीएन खाता संख्या 34/101 ज.स. 2070–2073
- दिनांक 10.05.2010 दस्तबरदारी जसमेल कौर वगेरा बहक गुरबचन सिह वगैरा की फोटोप्रति।
- चक 3 एन.जी.आर. खाता संख्या 31/51 ज.स. 2051
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 21 ज.स. 2035
- चक 13 एसबीएन. खाता संख्या 101/35 ज.स. 2066–2069
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 124/113 ज.स. 2064–2067
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 47/40 ज.स. 2064–2067
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 98/90 ज.स. 2064–2067
- चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 83/74 ज.स. 2064–2067
- चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 115/95 ज.स. 2064–2067

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 132/122 खाता गुरबचन सिंह, चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 33/23, खाता संख्या 35/28, खाता संख्या 52/33 चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38. खाता संख्या 34/30, खाता संख्या 39/33 चक 13 एसबीएन के खाता सख्या 34/101 चक 3 एनजीआर के खाता संख्या 25/22 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने दिनांक 10.05.2010 दस्तबरदारी जसमेल कौर वगेरा बहक गुरबचन सिह वगैरा की फोटोप्रति, चक 3 एन.जी.आर. खाता संख्या 31/51 ज.स. 2051, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 21 ज.स. 2035,चक 13 एसबीएन. खाता संख्या 101/35 ज.स. 2066–2069, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 124/113 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 47/40 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 98/90 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 83/74 ज.स. 2064–2067, चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 115/95 ज.स. 2064–2067 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है जो दिनांक 10.05.2010 दस्तबरदारी जसमेल कौर वगेरा बहक गुरबचन सिह

कलेक्टर एव
अधिकारी
रिया

वगैरा की फोटोप्रति, चक 3 एन.जी.आर. खाता संख्या 31/51 ज.स. 2051, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 21 ज.स. 2035,चक 13 एसबीएन. खाता संख्या 101/35 ज.स. 2066–2069, चक 5 एन.जी. आर. खाता संख्या 124/113 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 47/40 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 98/90 ज.स. 2064–2067, चक 5 एन.जी.आर. खाता संख्या 83/74 ज.स. 2064–2067, चक 6 एन.जी.आर. खाता संख्या 115/95 ज.स. 2064–2067 प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी संख्या 01 हरदीप सिंह, 02 हरविन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 01 विक्रम सिंह व प्रतिवादी संख्या 04 हरपाल कौर के हक व हिस्सा में चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 238/38 में दर्ज 2.922 है. खाता संख्या 34/30 में दर्ज 506 है. तथा खाता संख्या 39/33 में दर्ज 1.518 है0 चक 5 एनजीआर के खाता संख्या 52/33 में 506 है. कुल 5.452 है० कृषिभूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हक व हिस्सा में आया इन खातों में प्रतिवादी संख्या 01 गुरबचन सिंह का हिस्सा कम कर वादी संख्या 1 व 02 प्रतिवादी संख्या 1 व 04 के नाम किये जाने एवं वादी संख्या 03 मेजर सिंह, वादी संख्या 04 शर्दुल सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 02 गुरबचन सिंह के हक व हिस्सा में चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 34/101 में दर्ज 253 है. चक 3 एनजीआर के खाता संख्या 25/22 में 156 है., चक 5 एनजीआर खाता संख्या 132/122 में 1.228 है0 खाता सख्या 33/23 में 759 है., खाता संख्या 35/28 में 2.656 है0, कुल 5.052 है. कृषिभूमि बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3 हक व हिस्सा में आयी इस खाता में विक्रम सिंह का हिस्सा वादी संख्या 3, 4 व प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्सा में आया विक्रम सिह का नाम का हिस्सा कम कर वादी संख्या 03 व 04 तथा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया